fgekpy izns'k ljdkj

Je ,oa jkstxkj foHkkx

okf"kZd
iz'kklfud fjiksVZ
2019-20

fo"k; lwph

Ø0 l0	v/;k;	fo"k;	i"B l[;k
1.	अध्याय–1	परिचय	1
2.	अध्याय–2	संगठनात्मक ढांचा	2–6
3.	अध्याय–3	(1) (क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013	7–10
		(ख) हि0 प्र0 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018	10–11
		(ग) मॉडल कैरियर सैन्टर	11–13
		(2) (क) रोज़गार शाखा	13–14
		(ख) बेरोज़गारी भत्ता योजना, 2017	15–16
		(ग) विशेष रोज़गार कक्ष (विकलांगों हेतु)	16–17
		(घ) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां	17
		(ङ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम	18–20
		(3) रोजगार उपलब्ध करने के लिए सेवाएं	20
4.	अध्याय–4	श्रम खण्ड	21–30
5.	अध्याय–5	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण	31–32
6.	अध्याय–6	बजट/वास्तविक खर्च वर्ष 2019–20	33–34
7.	अध्याय–7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 10–4–2007.	35–38
8.	अध्याय–8	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए0पी0आई0ओ0, पी0आई0ओ0 व एपीलेट अथोरिटी का विवरण।	39–45

Je ,o jkstxkj foHkkx dh foÙk o"k 2019&20 dh okf"kd i'kklfud fjikV

v/;k;&1

ifjp;

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये तीन स्तरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है :–

1- jkstxkj ikflr ls igys lsok,-&–विभाग अपने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास तथा जीविका परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके तहत पात्र युवा आवेदकों को 1000/– रुपये, 1500/– रुपये की दर से कौशल विकास भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता का स्तर बढ़े तथा वे आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकें।

2- jkstxkj miyC/k djokus dh fy;s lsok,-&&विभाग प्रदेश में स्थित रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की मांगानुसार पात्र पंजीकृत आवेदक के नामों का सम्प्रेषण करता है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के माध्यम से कैम्पस इन्टरव्यू/रोज़गार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

3- jkstxkj ikflr mijkUr lsok,-&&इसके अन्तर्गत श्रम कानूनों (जिनकी संख्या 28 केन्द्रीय एवं राज्य है) के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2019–20 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्योरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

v/;k;&2

Je ,oa jkstxkj foHkkx dk laxBukRed <kpk

2019–20 में श्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग, श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख–रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार ''विभागाध्यक्ष'' के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः–

1- (क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देख–रेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किया गया है तथा संयुक्त–श्रमायुक्त ''अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक'' एवं उप–श्रमायुक्त ''उप मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप–निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है :–

1. उप–निदेशक कारखाना–शिमला जिला–शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।

2. उप–निदेशक कारखाना, ऊना जिला–कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।

   उप–निदेशक (कारखाना) शिमला, निदेशालय का कार्य जोकि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये निदेशक रोज़गार की देख–रेख में उप–निदेशक रोज़गार तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जोकि रोज़गार शाखा, राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपंगों हेतु विशेष रोज़गार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना शाखा तथा केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के कार्यों की देख–रेख करते हैं।

2- Je ,oa jkstxkj foHkkx dh v/khuLFk dk;kZy;ksa dk fooj.k %

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप–मण्डल शिमला (शहरी एवं ग्रामीण), उप–मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील।
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा कुमारसैन तहसील, जिला शिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू।

3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी–बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
4. श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लू (उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल।
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप–मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	जिला कांगड़ा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 62 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :–

Øekd	dk;kZy; dk uke	v/khuLFk dk;kZy; dk fooj.k
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला।	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर–बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडरा–क्वार तथा कुपवी।
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी।	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, गोहर, पधर तथा नेरचौक।
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला।	पालमपुर, ज्वाली, नूरपुर, लम्बागांव, नगरोटा–सूरियां, बैजनाथ, इन्दौरा, बड़ोह, देहरा, फतेहपुर, कस्बा–कोटला, कांगड़ा, ज्वालामुखी तथा नगरोटा बगवां।
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा।	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला।
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर।	नदौन, भोरंज, बड़सर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर।	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लू।	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन।	नालागढ़, अर्की, कसौली एवं बद्दी
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन।	पांवटा साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलांग।	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ।	पूह एवं निचार
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना।	अम्ब एवं हरोली

Øekd	dk;ky; dk uke	v/khuLFk dk;ky; dk fooj.k
13.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला।	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, पालमपुर।	–यथोपरि –
15.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित।	केन्द्रीय रोज़गार कक्ष
16.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित।	विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु)

3- 0k"k 2019&20 e Je ,o jkstxkj foHkkx e vf/kdkfj;k@depkfj;k dh lokfuofÙk@ fu;fDr rFkk inkUufr dk fooj.k %

1- ubZ fu;fDr;k %		
(1)	सहायक निदेशक, कारखाना अनुबन्ध आधार पर	1
	विधि अधिकारी, अनुबन्ध आधार पर	1
(3)	श्रम निरीक्षक, अनुबन्ध आधार पर	5
(4)	जूनियर ऑफिस एसीस्टैंट (आई.टी.), अनुबन्ध आधार पर	5
(5)	चालक, अनुबन्ध आधार पर	1
2- inksUufr;k %		
(1)	जिला रोज़गार अधिकारी	2
(2)	श्रम अधिकारी	1
(3)	अधीक्षक ग्रेड-II	3
(4)	रोज़गार अधिकारी	4
3- nSfud osru Hkksxh ls fu;fer fd;s x;s prqFkZ J.kh deZpkjh		6
4- vuqcU/k deZpkfj;ks ls fu;fer fd;s x;s deZpkjh&r`rh; J.kh		9
5- deZpkfj;ks dk ifj"Vdj.k (**Confirmation**) fd;k x;k%		
1- f}rh; J.kh		1
2- r`rh; J.kh		34
3- prqFkZ J.kh		74
6- lsokfuo`Ùk %		
(1)	प्रथम श्रेणी	1
(2)	द्वितीय श्रेणी	4
(3)	तृतीय श्रेणी	1
(4)	चतुर्थ श्रेणी	2

Je ,oa jkstxkj foHkkx esa fnukad 31&3&2020 rd dqy 479 in Lohd`r gSa ftuesa ls 143 in fjDr gSa ftudk C;kSjk fuEu izdkj ls gS %&

Øekd	in dk uke	Lohd`r in	Hkjs in	fjDr in	[kkyh inks dh ifr'krrk
1	2	3	4	5	6
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	1	–	

1	2	3	4	5	6
2.	पीठासीन अधिकारी	2	2	–	
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	1	–	
4.	उप श्रमायुक्त	1	1	–	
5.	उप–निदेशक रोज़गार	1	–	1	
6.	उप–निदेशक कारखाना	1	1	–	
7.	सहायक निदेशक कारखाना, (मकैनिकल / कैमिकल)	2	1	1	
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	13	9	4	
9.	अधीक्षक, ग्रेड-I	1	1	–	
10.	श्रम अधिकारी	12	12	–	
11.	रोज़गार अधिकारी	20	16	4	
12.	विधि अधिकारी	1	1	–	
13.	निजी सहायक	1	–	1	
14.	अधीक्षक, ग्रेड-II	12	12	–	
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	2	–	
16.	वरिष्ठ सहायक	62	26	36	
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	4	7	
18.	श्रम निरीक्षक	33	28	5	
19.	प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर	1	1	–	
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1	–	
21.	आशुटंकक	4	3	1	
22.	चालक	5	5	–	
23.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	80	58	22	
24	जूनियर ऑफिस असिस्टैंट	78	30	48	
25.	दफ्तरी	4	1	3	
26.	चौकीदार	13	9	4	
26.	चपड़ासी	115	109	6	
27.	फ्राश	1	1	–	
	tkM ..	479	336	143	29-85%

Je ,o jkstxkj foHkkx] fgekpy izns'k dk v/khu foRr o"kZ 2019&20 esa 112 dk;kZy; dk;Zjr gSA

¼d½ foHkkxh; 24 dk;kZy; tks ljdkjh Hkouksa esa gSa&–श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा शिमला, विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एवं पालमपुर, जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा तथा रिकांग–पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ़, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप–रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ़, भरमौर, काज़ा एवं चिड़गांव, हरोली व बंगाणा।

¼[k½ foHkkxh; 49 dk;ky; tk foHkkxh; Hkouk e g-&&श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, उप–निदेशक कारखाना शिमला, उप–निदेशक कारखाना ऊना, विशेष रोज़गार कक्ष (अपंगों हेतु), केन्द्रीय रोज़गार कक्ष, क्षेत्रीय रोज़ग़ार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लू व सोलन श्रम कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू व सोलन, एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, बिलासपुर, कुल्लू, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, नाहन, नालागढ़ व सोलन तथा उप–रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाड़ी फतेहपुर एवं चौपाल, उदयपुर, नालागढ़, गोहर एंव नगरोटा सूरियां ।

¼x½ शेष 39 कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

Øe l[;k	dk;ky; dk uke	ikIr ikDdyu	vkcfVr ctV
1.	उप–रोज़गार कार्यालय, अम्ब जिला ऊना, हि0 प्र0।	₹ 38,55,100 ⁄ –	₹ 38,55,100 ⁄ –
2.	अतिरिक्त आंशिक संशोधन श्रम एवं रोज़गार निदेशालय।	₹ 8,07,500 ⁄ –	₹ 3,88,900 ⁄ –
3.	श्रम कार्यालय, ऊना जिला ऊना, हि0 प्र0।	₹ 59,62,400 ⁄ –	₹ 55,84,000 ⁄ –
	foRr o"k 2019&20 e dy ikIr ctV % ₹ 98]28]000@&-		foÙk o"k 2019&20 e dy [kp ctV ₹ 98]28]000@&-

ukV-&&rkfydk e vfdr dk;ky; mijkDr of.kr dk;ky;k e gh lfEEkfyr gA

v/;k;&3

जैसा कि इसी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के परिचय में वर्णित है विभाग हिमाचल प्रदेश की जनता को तीन स्तरों पर सेवाएं प्रदान करता है।

¼1½ jkstxkj ÁkfIr ls igys lsok,a

¼d½ dkS'ky fodkl HkRrk ;kstuk] 2013 %

- स्किल डवैलपमैन्ट अलाऊंस स्कीम, 2013 अर्थात् कौशल विकास भत्ता योजना को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–श्रम(डी) 1–2/2013 दिनांक 21–5–2013 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से लागू किया जा रहा है।

- ;kstuk dk mn~ns';-&कौशल विकास भत्ता योजना का उद्देश्य हि0 प्र0 के पात्र बेरोज़गार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है, ताकि युवा अपने कौशल का विकास कर पाये और अपनी रूचि के क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार अर्जित करने हेतु समर्थ हों।

- dkS'ky fodkl HkRRkk dh nj-&योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रू0 1500/– प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

- dkS'ky fodkl HkRrk gsrq ik=rk 'krsZ% कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं :–

  1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,
  2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो,
  3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है),
  4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम,
  5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
  6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये,
  7. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

- dkS'ky fodkl HkRRkk rFkk ykHkkfFkZ;ksa dk foOj.k-&योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31–03–2020 तक 3,05,543 अभ्यर्थियों को ₹ 297.48 करोड़ की राशि कौशल विकास भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष अनुसार व जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

foRrh; o"kZ 2013&14] 2014&15] 2015&16] 2016&17 rFkk 2017&18] 2018&19 o 2019&20 ds nkSjku fn, x, HkRrs rFkk ykHkkfFk;ksa dh la[;k ckjs fooj.k

foRrh; o"kZ	ykHkkfFk;ksa dh la[;k	iznku fd, x, HkRrs dh jkf'k (₹ esa)
2013—14	42]077	13,96,48,500
2014—15	52]815 (21,126 ऐसे लाभार्थी हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं और 31,689 आवेदक इस वित्तीय वर्ष में इनरोल किए गए)	28,69,15,854
2015—16	67]753 (जिनमें कि 27,221 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,532 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	40,00,74,500
2016—17	80]606 (जिनमें कि 28,729 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 51,877 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	53,68,09,731
2017—18	90]428 (जिनमें कि 40,349 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 50,079 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	58,46,26,000
2018—19	80]656 (जिनमें कि 32,136 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 48,520 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	56]78]42]500
2019—20	73]210 (जिसमें कि 32,441 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,769 इस वित्तीय वर्ष में नए अभ्यर्थी हैं)	45]89]30]000
dqy	3]05]543	2]97]48]47]085

- ;kstuk ds vkjEHk ls fnukad 31&03&2020 rd ftykokj C;kSjk fuEu izdkj ls gS%

Ø0 l0	ftys dk uke	dqy izf'k{k.kkFkhZ@ykHkkFkhZ	forfjr HkRrk jkf'k ₹ esa
1.	कांगड़ा	79496	783144000
2.	मण्डी	42944	408664500
3.	सिरमौर	30707	280775000
4.	ऊना	28684	294638354
5.	हमीरपुर	25048	253492000
6.	कुल्लू	21712	218352500

Ø0 l0	ftyk dk uke	dy if'k{k.kkFkh@ykHkkFkh	forfjr HkRrk jkf'k ₹ e
7.	बिलासपुर	20502	195551500
8.	चम्बा	18805	182561500
9.	शिमला	18687	175412631
10.	सोलन	17333	165362100
11.	किन्नौर	1331	13761500
12.	लाहौल स्पीति	294	3131500
	dy --	3]05]543	2]97]48]47]085

- dk'ky fodkl HkRRkk ;kstuk d vUrxZr ekU; if'k{k.k-&&कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षणों बारे गाईडलाइन्ज/सूची तैयार की गई। इन गाईडलाइन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है। इन गाईडलाइन्ज अनुसार dk'ky fodkl HkRRkk ;kstuk d vUrxZr ekU; if'k{k.k e[;r%&

  (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटैक्नीकल कॉलेजों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट कोर्स, एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF), एन0सी0वी0टी0 (NCVT) एस0सी0वी0टी0 (SCVT) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।

  (2) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन कौंसिल से मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन व हास्पीटैलिटी में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।

  (3) कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर के निजी क्षेत्र के संस्थान जिनमें कि राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT), एप्टैक (Aptech), जैटकिंग (Jetking), ए0आई0एस0ई0सी0टी0 (AISECT), हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्ज समिति (HCL) शामिल हैं, द्वारा कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रशिक्षणों के अतिरिक्त।

  (4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटीशियन, कढ़ाई, बुनाई, फैशन डिज़ाइनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपेयर, चम्बा रूमाल, एम्ब्रॉयडरी, मूर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीशियन, हैन्डलूम, शोर्ट हैन्ड टाइपिंग आदि में दिए जा रहे प्रशिक्षण जोकि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य हैं।

  (5) नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनाओं के अनुरूप नर्सिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के अलावा बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं नर्सिंग में अन्य स्नातक प्रशिक्षणों जो सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया जा रहा हो को भी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से शामिल किया गया है।

  (6) इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चुनिन्दा महाविद्यालयों द्वारा **B. Voc. Education (Retail Management and Tourism & Hospitality)** को भी फरवरी, 2017 से योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया। इस समय लगभग 1200 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों (सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से मान्यताप्राप्त गैर–सरकारी संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें कि जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुसंशित/इम्पैनल किया गया है) द्वारा

करवाए जा रहे प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मान्य हैं। प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों बारे सूचना विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

vxzsth भाषा esa izf'k{k.k dkS'ky fodkl HkRrk ;kstuk ds vUrxZr 'kkfey-&–हि०प्र० सरकार द्वारा, अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रशिक्षण के लिए अच्छी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने तथा अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता प्रदान करने बारे, लिए गए निर्णय को लागू करने के आशय से विभाग द्वारा इस बारे स्कीम/गाईडलाईन्स जारी की गई तथा प्रारम्भिक स्तर पर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 57 चुनिन्दा संस्थानों में अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान करने बारे निर्णय लिया गया तथा वर्तमान संस्थानों की संख्या 65 है । हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के उपरोक्त चुनिन्दा संस्थानों जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पॉलीटैक्निक शामिल हैं, में अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा पात्र आवेदकों को विभाग द्वारा कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

dkS'ky fodkl HkRrs dk Hkqxrku-&&कौशल विकास भत्ते का भुगतान विभाग द्वारा पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सीधा उनके बैंक खातों में RTGS (Real Time Gross Settlement System) के माध्यम से अदा किया जाता है।

¼[k½ fgekpy izns'k vkS|ksfxd dkS'ky fodkl HkRrk ;kstuk] 2018 ½

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौशल विकास भत्ता प्रदान करने बारे लिए गए निर्णय को लागू करने के आशय से विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 को 2–11–2018 को अधिसूचित किया गया और क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2–11–2018 से उद्योगों में नियुक्त नए कामगारों/कर्मचारियों/प्रशिक्षुओं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, को नौकरी/इंटर्नशिप के दौरान कौशल विकास हेतु रु0 1000/–प्रति माह तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से, औद्योगिक कौशल विकास भत्ता का दो वर्ष (24 माह) तक प्रावधान है, ताकि उद्योगों में कार्यरत युवा ऑन जॉब प्रशिक्षण प्राप्त कर रोज़गार के बेहतर विकल्पों का लाभ उठा सकें।

ik=rk 'krsZa ½

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,

2. हिमाचल प्रदेश में निजी औद्योगिक संस्थान जोकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (आई) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2–11–2018 और इसके उपरान्त नया कामगार/कर्मचारी/प्रशिक्षु नियुक्त किया गया हो तथा कुल वेतन/स्टाइफण्ड ₹ 15000 या इससे कम हो।

3. शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।

4. आयु 18 से लेकर 36 वर्ष से कम हो।

5. नियोक्ता द्वारा मुफ्त में आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो।

6. पहले 24 माह तक कौशल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त न किया हो। लेकिन 24 माह से कम समय हेतु कौशल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने की स्थिति में शेष समय हेतु औद्योगिक कौशल विकास भत्ता हेतु अन्य पात्रता मापदण्ड पूरा करने पर पात्र होंगे।

7. वह सरकार का बरखास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

8. वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

9. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2020 तक 202 पात्र आवेदकों को रु0 8,63,000 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता प्रदान किया गया। उद्योगों में कार्यरत अधिक से अधिक युवाओं को योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के आशय से इसके प्रावधानों में संशोधन बारे मामला सरकार के विचाराधीन है।

2- 0;olkf;d ekxZn'kZu rFkk jkstxkj ijke'kZ-&&विभाग प्रदेश के युवाओं का व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा परामर्श से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन भी करता है तथा इसी आशय से जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सैन्टर में बदला जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिला रोजगार कार्यालयों में व बड़े महाविद्यालयों में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए रोजगार सैल (Cell) खोले जाने से सम्बन्धित घोषणा के क्रियान्वयन हेतु भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस आशय से हि0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 20–11–2018 को गाईडलाईन्स जारी की गई हैं। युवाओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिलों में उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में हि0प्र0 सरकार के 16 विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों की टीमें गठित की गई हैं और इन टीमों द्वारा सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेरोज़गार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, रोजगार व स्वरोजगार अवसरों बारे तथा युवाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं बारे उचित जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। नवम्बर 2018 से दिनांक 31–03–2020 तक प्रदेश में कुल 436 मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किए गए जिनमें 51,937 युवाओं ने भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग को व्यवसायिक मार्गदर्शन के लिए 13,00,000/– रु0 का बजट आबंटित किया गया तथा 9,23,772/– रु0 की राशि विभाग द्वारा इस उद्देश्य से खर्च की गई।

इसके अतिरिक्त स्टेशनरी छपवाने के लिये 4,34,000 रू0 का बजट प्रावधान रखा गया था। जिससे 2,12,000 फार्म, 4,00,000 X-1 व 50,000 X-10 तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये और पूरे बजट को व्यय किया गया।

¼x½ ;qokvksa d‚ 0;kolkf;d rFkk thfodk ekxZn'kZu d‚ fy;‚ vkn'kZ vkthfodk dsUn‚ **(Model Career Centers)** dh LFkkiuk ½

श्रम और रोज़गार मंत्रालय एवं भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना शुरू की है। जिसका उद्‌देश्य युवाओं को विभिन्न प्रकार की रोज़गार संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना का एक महत्वपूर्ण घटक मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा रोज़गार एक्सचेंजों को मॉडल कैरियर केंन्द्रों में बदलना है। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 मॉडल कैरियर केन्द्रों ऊना और शिमला की जगह कुल्लू को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। परन्तु अब शिमला में जगह नहीं मिलने के कारण जिला रोज़गार कार्यालय कुल्लू को भारत सरकार द्वारा मॉडल कैरियर केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है। तदनुसार बद्‌दी औद्योगिक क्षेत्र सहित शेष जिलों में एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण के साथ मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को अब एशियाई विकास बैंक परियोजना से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में मॉडल कैरियर केंद्रों को चलाने के लिये एशियाई विकास बैंक फंड से परियोजना के पूर्ण होने तक विभाग ने 9 यंग प्रोफेशनल और 02 कैरियर सलाहकारों कि नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान से जिला रोजगार ऊना को मॉडल कैरियर सेंटर को परिवर्तित कर लिया गया है और जिला रोजगार कार्यलय हमीरपुर का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अन्य जिला रोजगार कार्यालय जैसे शिमला, सिरमौर, मंडी, बद्‌दी, कांगड़ा, सोलन, किन्नौर व बिलासपुर का कार्य जल्द ही सभी कोडल औपचारिकतों को पूर्ण करने के साथ पूरा कर दिया जाएगा।

ekMy dfj;j dUn dh fLFkfr dk uke %

ØE lE	ftyk dk uke	dy ikIr ikDdyu	C;kjk
1	2	3	4
1.	Åuk	58,78,200/–	हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अनुदान के साथ। मॉडल कैरियर सेंटर, ऊना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर दिया गया है ।
2.	f'keyk	––	वित्त वर्ष 2019–20 में कहीं भी उपयुक्त जमीन नहीं मिली है।
3.	gehjiqj	3,36,71,657/–	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।
4.	fljekSj	––	सिरमौर में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम स्थानांतरित की गई भूमि उपायुक्त सिरमौर द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पेशी–II–8(50)ट्रांस्फ/2016 दिनांक 26–08–2019 द्वारा निरस्त कर दी गई।
5.	e.Mh	2,36,35,000/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई(बिल्डिंग)2/2019 मॉडल कैरियर सैन्टर मण्डी दिनांक 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
6.	Cknnh	3,54,20,679/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई(बिल्डिंग)3/2016 मॉडल कैरियर सैन्टर बद्दी दिनांक 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
7.	dkxMk	1,03,70,800/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई(बिल्डिंग)3/2019 मॉडल कैरियर सैन्टर धर्मशाला दिनांक 09–08–2019 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
8.	dqYyw	28,78,500/– (प्राप्त /आबंटित रू0 16,75,500/– 60 प्रतिशत)	एमसीसी कुल्लू का फण्ड एमसीसी शिमला को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रोज़गार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 04–02–2019 को भेजा गया था। श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त फण्ड को मॉडल कैरियर सेन्टर कुल्लू को पत्र संख्या डी0 जी0 ई0–यू0 11011/4/2019–एमएमपीसैल/एमएमसी/एचपी दिनांक 24–09–2019 के तहत स्वीकृत कर दिया गया है। इस विभाग द्वारा कुल्लू को पत्र संख्या एल0 एंड ई0 (बिल्डिंग) 7/ 2019–एमसीसी कुल्लू दिनांक 28–12–2019 को रू0 16,75,500/– की राशि आगामी कार्यवाही हेतु आबंटित की दी गई है, जिसके तहत कुल्लू द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

1	2	3	4
9.	fdUukSj	3,00,00,00,200/–	मॉडल कैरियर केन्द्र किन्नौर को स्टेट फंडिंग के साथ स्थापित किया जा रहा है। विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2018–19 में विभाग के मुख्य शीर्ष कैपिटल वर्क्स में रुपये 1.87 करोड़ दिया गया है।
10.	lksyu	–––	सोलन में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम स्थानांतरित की गई भूमि को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा उपयुक्त न होने के कारण पत्र संख्या एच पीकेवीएन/1–1/2016–17–एलईपी–वॉल–II–469–470 दिनांक 03–05–2019 के तहत निरस्त कर दी गई है।
11.	pEck	3,80,22,000/–	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई(बिल्डिंग)2/2020 मॉडल कैरियर सैन्टर चम्बा दिनांक 16–03–2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।
12.	fcykliqj	1,24,63,407/–	अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार) हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय पत्र संख्या श्रम (सी)5–2/2016 दिनांक 20–03–2020 के तहत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
13.	ykgkSy Lihfr	–––	भूमि अभी तक विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई है।

2- jkstxkj miyC/k djokus dk fy;s lsok,a

¼d½ jkstxkj 'kk[kk :

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 65 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यवसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फौरन इम्प्लायमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो का निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

1&4&2019 ls 31&3&2020 rd foHkkx }kjk dh xbZ miyfC/k;ka

Ø- la-	ftyk	iathdj.k	vf/klwfpr fjfDr;ka	lEiz"k.k	lsok fu;kstu		lthfo iathdk ¼iathdr vkosndksa dh la[;k½	fu;kftr vkosnd
					ljdkjh {ks=	futh {ks=		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिलासपुर	16,975	32	3668	60	489	56,108	2419
2.	चम्बा	18,961	3567	2850	70	449	59,629	1
3.	हमीरपुर	16,742	13	9142	234	230	66,390	2,785
4.	कांगड़ा	51,239	0	49958	201	566	1,85,493	4,973
5.	किन्नौर	2,096	0	3	3	0	9,009	0
6.	कुल्लू	10,645	1069	1282	27	25	50,279	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	लाहौल स्पीति	720	0	0	0	0	5,001	0
8.	मण्डी	44,534	183	14520	391	424	1,54,040	4,989
9.	शिमला	19,105	997	2279	141	37	78,620	500
10.	सिरमौर	14,991	2205	6587	78	66	59,695	4,502
11.	सोलन	15,733	788	10880	20	67	58,610	3,904
12.	ऊना	16,562	775	23182	99	426	66,827	3,034
	दिव्यांग आवेदक	(1755)	140	727	07	0	(18,555)	0
	जॉब फेयर	0	0	0	0	4,378	0	0
	tkM+ --	2]28]293	9]769	1]25]078	1]331	7]157	8]49]701	27]107

f'k{kkokj foHkkt u

स्नातकोत्तर	76,241
स्नातक	1,36,457
+2	4,03,207
दसवीं	1,97,247
दसवीं से कम पढ़े–लिखे	30,319
अनपढ़	6,230
d|y ;kx --	8]49]701

tkfrokj foHkkt u

अनुसूचित जाति	2,12,695
अनुसूचित जनजाति	49,292
ओ.बी.सी.	1,13,285
अन्य	4,74,429
d|y ;kx --	8]49]701

L=h@i#"k foHkkt u

पुरुष	4,70,501
स्त्री	3,79,200
d|y ;kx --	8]49]701

'kgjh xkeh.k foHkkt u

शहरी	1,38,201
ग्रामीण	7,11,500
d|y ;kx --	8]49]701

¼[k½ cjkstxkjh HkRRkk ;kstuk&2017 ¼01&04&2019 ls 31&03&2020½ rd ½

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं हेतु बेरोज़गारी भत्ता योजना माह अप्रैल, 2017 में अधिसूचित कर दिया था तथा माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 ने 15—4—2017 को इसका शुभारम्भ चम्बा में कर दिया था। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता) के लिए ₹1500/— (रु0 एक हज़ार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से तथा अन्य सभी श्रेणियों के आवेदकों को ₹1000/— (रु0 एक हज़ार) प्रतिमाह की दर से कुल 2 वर्ष की अवधि हेतु भत्ता देय है। इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं—

bl ;kstuk ds nf"Vxr o lHkh f'kf{kr cjkstxkj vkosnd cjkstxkjh HkRRkk ds ik= gksaxs] tks fuEufyf[kr ekunaM iw.kZ djrs gksa%

(क) आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

(ग) आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

(घ) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्त्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय ₹ 2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है।

(ङ) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(च) आवेदक सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(छ) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

(ज) आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।

(झ) आवेदक कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो।

योजना की पूरी जानकारी विभागीय वैबसाइट http://admis.hp.nic.in/unemp पर उपलब्ध है तथा पात्र युवा भत्ता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त आवेदन प्रपत्र और स्व—प्रमाणित घोषणा (Self Certified Declaration) प्रपत्र का प्रिंट लेकर तथा वांछित प्रमाण—पत्र संलग्न करके सम्बन्धित रोज़गार कार्यालय जहां पर आवेदक का नाम दर्ज है जमा करवायें। योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31—03—2020 तक 69,690 अभ्यथियों को रू० 83.58 करोड़ की राशि बेरोज़गारी भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19 व 2019—20 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण :

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रूपये
1	2	3
2017—18	24,129	17,40,56,000
2018—19	31,012 (16,656 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी है।)	28,42,64,500

1	2	3
2019–20	50,347 (28,905 इस वित्तिय वर्ष के नए अभ्यर्थी है)	37,75,78,000
	dqy --	83]58]98]500

इस वित्तीय वर्ष (2019–20) का जिलावार ब्यौरा।

Ø0 l0	ftyk	ykHkkFkhZ l[;k	forfjr jkf'k ¼#i;s esa½
1.	मण्डी	8475	5,97,09,500
2.	कांगड़ा	7766	6,09,82,500
3.	ऊना	5170	3,68,80,500
4.	शिमला	5870	4,99,01,500
5.	कुल्लू	4387	4,27,32,500
6.	सिरमौर	5416	3,48,95,500
7.	बिलासपुर	5991	3,54,86,000
8.	चम्बा	2434	2,14,68,000
9.	हमीरपुर	3060	2,20,46,000
10.	सोलन	1371	99,30,000
11.	किन्नौर	200	18,17,000
12.	लाहौल स्पीति	207	17,29,000
	जोड़ ..	50,347	37,75,78,000

बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 का वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 2019–20 के दौरान दिया गया भत्ते में वर्ष 2018–19 में क्रम संख्या 9 में वितरित राशि रु0 1,50,13,500/– में 10,63,500 रुपये की विभिन्नता अप्रैल 2018 माह से निरन्तर 31–03–2020 तक होने के कारण कुल जोड़ 28,42,64,500 है जोकि 28,32,01,000 होना चाहिये था। सही वितरित राशि आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रतिवेदन में सही करके दर्शाया जायेगा।

¼x½ Je ,oa jkstxkj funs'kky; esa LFkkfir fo'ks"k jkstxkj dk;kZy; ¼viaxksa gsrq½ }kjk o"kZ 2019&20 esa fd;s x;s dk;Zdykiksa dk fooj.k ½

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का कार्मिक विभाग (एपी–111) की अधिसूचना संख्याः (एपी)–सीएफ(4)–4/2020, दिनांक 22–06–2020 द्वारा पदों में नियुक्ति के लिये आरक्षण आरक्षित 4 प्रतिशत सीटें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व सिलाई केन्द्र और विभागीय 100 अंकों में विशिष्ट अंक के विरुद्ध आरक्षण प्रदान करना रोस्टर प्रथम 1 से 25वां, दूसरा 25वां से 50वां, तीसरा 50वां से 75वां व चौथा 75वां से 100वां।

विशेष रोज़गार विनिमय (विशेष रूप से दिव्योगों के लिये) नियोजकों से प्राप्त पात्रता के विरुद्ध पात्र कुल–सचिवों के नाम के रूप में प्रायोजित करता है, जोकि अपेक्षित शर्तों और नियमों के अनुसार प्राप्त होता है।

1–4–2019 से 31–03–2020 के दौरान, कुल 1,755 नये विशेष योग्य व्यक्तियों को विशेष रोज़गार विनिमय के सजीव पंजीका पर लाया गया, इस अवधि में कुल संख्या 18,560 पर लाई गई। 07 विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार में रखा गया और 727 समान रूप से एबल्ड इस विशेष रोज़गार विनियमन को अधिसूचित 140 रिक्तियों के विरुद्ध प्रायोजित थे।

fo'k"k jkstxkj dk;kZy; ¼fn0;kaxksa grq½ }kjk foRr o"kZ 2019&20 esa fd;s x;s dk;Zdykiksa dk fooj.k

lfØ; iftdk ¼vius d{k½

Ø0 l0	nf"Vnks"k fn0;kax	Jo.k ,oa okd fn0;kax	vfLFk fn0;kax	vU;	dqy
1.	1890	1343	14,957	365	18,560

Ø0 l0	iathdj.k	vf/klfpr vkjf{kr fjfDr;ka	fu;fDr;ka dh fo#) lEizs"k.k	Lkkok fu;kstu	lthok iftdk
1.	1755	140	727	07	18,560

¼?k½ dsUnzh; jkstxkj d{k dh xfrfof/k;ka %

fnukad % 01&04&2019 ls 31&03&2020 rd dsUnzh; jkstxkj d{k }kjk fd;s dk;Z dk ys[kk tks[kk %

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष 2019–20 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–शक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू (एक नियोक्ता के लिए) करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके। जिसका ब्योरा निम्नलिखित से हैः–

Ok"kZ	dSEil bUVjO;w	lsok fu;kstu
2019–20	143	2247

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मेलों (एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए) का आयोजन किया गया है जिसका ब्योरा निम्नलिखित हैः–

o"kZ	jkstxkj esyksa dh la[;k	Lkkok fu;kstu
2019–20	11	4378

fgekpy izns'k esa LFkkfir m|ksxksa rFkk gkbMªkbysfDVªd ikstsDVksa esa fgekpfy;ksa dks 70 izfr'kr jkstxkj dh ekfuVfjax.––विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग को भेजी जाती है। अभी तक 255 उद्योगों तथा 24 जल विद्युत परियोजनाओं, जिनमें 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है।

¼3½ jkstxkj ckt kj lpuk dk;Øe %

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जोकि अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोज़गार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हों, से आंकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। रोज़गार के आंकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिसके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की इकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई इकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कुल 220 निरीक्षण किए गए हैं।

fu th {k=	lkoltfud {k=	dqy fujh{k.k
129	91	220

रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

vof/k =ekl kUr	çfr"Bkuks dh l a[;k		vuqekfur jkstxkj	
	lkoltfud {k=	fu th {k=	lkoltfud {k=	fu th {k=
त्रैमासान्त मार्च/2018	4250	1758	269852	174081
त्रैमासान्त मार्च/2019	4399	1813	275177	178369

lkoltfud {k= ds ikp vxks es =ekl kUr ekp 2019 es fu;kDrkvks dh l a[;k ,oa vuqekfur jkstxkj

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध–सरकारी केन्द्रीय		अर्ध–सरकारी राज्य		स्थानीय नियोक्ता	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च/18	123	10936	2786	191270	767	20151	511	44015	63	3480
मार्च/19	123	11053	2938	196859	794	20059	480	43754	64	3452

fu th {k= es =ekl kUr ekp 2019 es fu;kDrkvks dh l a[;k ,oa vuqekfur jkstxkj

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान		10 से 24 कर्मचारियों वाले संस्थान	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/18	1142	163818	616	10263
त्रैमासान्त मार्च/19	1154	167537	659	10832

lkoZtfud {ks= ,oa futh {ks= esa =SeklkUr ekpZ 2019 esa vkS|ksfxd oxhZdj.k esa lLFkkuksa dh la[;k ,oa vuqekfur jkstxkj

Ø0 la0	O;olk;	lkoZtfud {ks=		futh {ks=	
		lLFkkuksa dh la[;k	vuqekfur jkstxkj	lLFkkuksa dh la[;k	vuqekfur jkstxkj
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि, शिकार, वानिकी, मत्स्य शिकार एवं पशु व्यवसाय।	163	15696	11	491
2.	खनिज एवं खाद्य	6	116	1	61
3.	उत्पादन	46	1482	1077	143069
4.	विद्युत, गैस एवं जल	162	28036	57	4576
5.	निर्माण	135	34799	15	1686
6.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर–गृहस्थी सामान एवं परचून व्यापार।	28	797	38	2259
7.	यातायात एवं भण्डार	37	10767	12	521
8.	होटल एवं रेस्तरां	14	733	181	5027
9.	सूचना एवं संचार	28	7142	22	2051
10.	वित्तीय बीमा	895	17097	40	731
11.	असली सम्पदा, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप।	132	7786	1	17
12.	लोक प्रशासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएं।	654	49038	2	113
13.	शिक्षा	1840	76663	336	16000
14.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	214	24449	20	1767
15.	कला, मनोरंजन, अन्य समाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं।	45	576	0	0
	dqy --	4399	275177	1813	178369

Ok"kZ 2019&20 dh nkSjku lxfBr {ks= esa jkstxkj dh Rofjr vuqeku

विवरण–1

त्रैमासान्त मार्च 2019 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
275177	178369	453546	443933

विवरण–2

vkSlr efgyk jkstxkj

त्रैमासान्त मार्च 2019 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2018 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
71244	31722	102966	98221

विवरण–3

dy vkl r ryukRed jkt xkj

त्रैमासान्त मार्च 2019 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2018 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2019 को कुल रोज़गार	
443933	453546	2.1

विवरण–4

vkl r ryukRed efgyk jkt xkj

त्रैमासान्त मार्च 2019 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2018 को कुल महिला रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2019 को महिला रोज़गार	
98221	102966	4.8

3- jkt xkj ikfIr mijkUr lsok,

श्रम कानूनों जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना––यह सेवाएं श्रम विभाग के श्रम खण्ड के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

अध्याय–4

Je rFkk Je dY;k.k

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोज़गार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार से है:–

Je [k.M

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय–समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

vk|kfxd lEcU/k rFkk lkekU; Je fLFkfr

औद्योगिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त/संयुक्त–श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ये वर्कस कमेटियां भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2019–20 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31&3&2020 rd Je [k.M esa fofHkUu Je vf/kfu;eksa ds vUrxZr iathÑr laLFkkuksa dh la[;k vkSj muesa dk;Zjr dkexkjksa dh la[;k fuEufyf[kr g\$&

Øekad	vf/kfu;e dk uke	iathÑr laLFkkuksa dh la[;k	iaLrkfor dkexkjksa dh la[;k
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5185	355580
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	134	7408

3.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1,395	18,356
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	10	183
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 (क) प्रमुख नियोक्ता	36	7,905
	(ख) ठेकेदार	79	2,713
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) प्रमुख नियोक्ता	1,787	1,90,941
	(ख) ठेकेदार	6,617	3,91,680
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	20511	1709604
8.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948	9,733	3,14,720

lkf[;dh; fooj.k

श्रम खण्ड की वित्तीय वर्ष 2019–20 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्योरा नीचे दी गई तालिकाओं पर वर्णित है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किए निरीक्षणों, सक्षम न्यायालयों में दायर अभियोगों की संख्या, न्यायालय द्वारा निर्णित अभियोगों की संख्या एवं दण्डित किये जाने पर जुर्माने की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

Rkkfydk&1

Ø0 l0	vf/kfu;e dk uke	1&4&2019 l 31&3&2020 rd fd;s x;s fujh{k.kksa dh l[;k	1&4&2019 l 31&3&2020 rd U;k;ky; esa nk;j fd;s x;s pykuksa dh l[;k	1&4&2019 l 31&3&2020 rd U;k;ky; }kjk fuf.kr ekeyksa dh l[;k	tqekus dh jkf'k ¼#i;s esa½
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	1293	147	119	1270000
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	7317	900	656	18,69,440
3.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	837	11	21	54,500
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	4677	231	184	2,31,700
5.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	4736	276	186	8,96,750
6.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	3	0	0	0
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1291	40	42	89,700
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1208	15	9	7,000
9.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	1514	35	53	6,01,500
10.	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946	429	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाश आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम, 1969	1375	5	4	5,000
12.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम, 1961	151	5	2	500
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	189	3	5	10,000

Ø0 l0	vf/kfu;e dk uke	1&4&2019 ls 31&3&2020 rd fd;s x;s fujh{k.kksa dh la[;k	1&4&2019 ls 31&3&2020 rd U;k;ky; esa nk;j fd;s x;s pkykuksa dh la[;k	1&4&2019 ls 31&3&2020 rd U;k;ky; }kjk fuf.kZr ekeyksa dh la[;k	tqekZus dh jkf'k ¼#i;s½ esa
14.	बाल एंव किशोर श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	3695	16	10	1,34,000
15.	समान वेतन अधिनियम, 1976	779	2	7	42,000
16.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्प्लायमैंट एण्ड कंडीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	620	10	11	18,000
17.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0	0	0	0
	dqy --	30114	1696	1309	52]30]090

Rkkfydk&2

mikndu vnk;xh vf/kfu;e] 1972

Øekad	31&3&19 rd ds fiNys vfu.khZr ekeys	01&04&2019 ls 31&03&2020 rd izkIr ekeys	dqy Ekkeyksa dh la[;k ¼[kkuk la[;k 3 ,oa 4½	31&3&20 rd fu.khZr ekeyksa dh la[;k	31&3&2020 rd vfu.khZr ekeyksa dh la[;k
1	2	3	4	5	6
(क) नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामले।	145	251	396	161	235
(ख) एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्योरा।	51	20	71	47	24

rkfydk&3

vkS|ksfxd fookn vf/kfu;e] 1947

Øekad	31&3&2019 dks yfEcr ekax i=ksa dh la[;k	1&4&2019 ls 31&3&2020 rd izkIr ekax i=ksa dh la[;k	dqy ekax i=ksa dh la[;k [kkuk la[;k ¼2 ,oa 3½	lek>kSrs ds nkSjku /kkjk 12¼3½ ds rgr fuiVk;s x;s ekeys	vlQy ekeyksa dh la[;k tks 12¼4½ ds v/khu Hksts x;s	31&3&2020 dks yfEcr ekax i=ksa dh la[;k
1	2	3	4	5	6	7
	316	1182	1498	792	397	309

Rkkfydk&4
vk|kfxd jkstxkj ¼LVfMx vkMjt½ vf/kfu;e] 1946

Øekd	vf/kfu;e dk uke vk|kfxd jkstxkj ¼LFkkbZ vkns'k½ vf/kfu;e] 1946 vf/kfu;e ds rgr vkus okys lLFkku	LVfMx vkMjt ftudks 31&03&2020 rd iekf.kr djok fy;k x;k gS
1.	2599	370

Rkkfydk&5
fg0 iz0 nqdku ,oa okf.kT; laLFkku vf/kfu;e] 1969

Øekd	vf/kfu;e ds v/khu cktkjksa dh la[;k	31&3&2020 ds vUr esa nqdkuksa dh la[;k	iaLrkfor dkexkjksa dh la[;k	31&3&20 ds vUr esa okf.kT; laLFkkuksa dh la[;k	31&3&2020 rd dkexkjksa dh la[;k	31&3&2020 rd dqy laLFkkuksa dh la[;k	31&3&2020 ds dqy iaLrkfor dkexkjksa dh la[;k
1.	121	79305	45792	22030	23440	101335	69232

Rkkfydk&6
fuEu vf/kfu;eksa esa iklr f'kdk;rsa

Øekd	vf/kfu;e dk uke	31&3&2019 dks yfEcr f'kdk;rksa dh la[;k	1&4&2019 ls 31&3&20 rd iklr f'kdk;rksa dh la[;k	;ksx ¼[kkuk la[;k 3 ,oa 4½	Je fujh{kdksa }kjk fu.khr f'kdk;rksa dh la[;k	Je fujh{kdksa }kjk Hkxrku djokbZ xbZ /kujkf'k ¼#0½ esa	ykHkkfUor dkexkjksa dh la[;k	31&3&2020 dks vfu.khr ekeyksa dh la[;k
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	498	1507	2005	1398	10,49,76,645	2274	607
2.	हि. प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	0	0	0	0	0	0	0
3.	हि. प्र. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	9	13	22	12	8,95,325	61	10
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	2	2	2	84,500	15	0

vk|kfxd fookn vf/kfu;e] 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निदेशालय स्तर पर 31–03–2019 को 112 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त वर्ष 2019–20 (01–04–2019 से 31–03–2020) के दौरान 390 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुए, अतः कुल विवाद 502 हो गए। इस वित्त वर्ष (01–04–2019 से 31–03–2020) के दौरान 251 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गए तथा तथा उक्त अधिनियम की घारा 12(5) के अन्तर्गत 86 निरस्त किए गए, तथा 31–03–2020 को 165 मामले शेष हैं।

vk|kfxd fookn vf/kfu;e] 1947

01-04-2019 l 31-03-2020 rd foHkkx }kjk fofHkUu Je vf/kfu;eka d rgr vftr vk; dk C;kjk

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	01-04-2019 तक संस्थानों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत संस्थानों की संख्या	पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु0 में)	वर्ष के दौरान नवीनीकृत संस्थानों की संख्या (यदि कोई हो)	लाईसैंस/ नवीनीकरण शुल्क एकत्रित (रु0 में)	अधिनिय की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर एकत्रित जुर्माना (रु0 में)	वर्ष के अन्त में पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कुल राशि एकत्रित (रु0 में) (कॉलम 3+ कॉलम 5+ कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5,100	85	3,62,02,649	1,990	0	8,80,000	5,185	3,70,82,649
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	98,506	2,829	21,77,155	6,119	38,26,661	17,07,740	91,332	77,11,556
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	5,539	345	10,89,525	749	3,76,010	3,37,537	6,432	18,03,072
4.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	126	8	3,200	45	1,12,025	500	134	1,15,725
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	18	4	6,411	0	0	10,000	17	16,411
6.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम, 1926	1,383	12	200	0	0	0	1,395	200
7.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	9	1	0	0	0	0	10	0
8.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	1,656	55	1,78,800	4	650	16,250	1,585	1,95,700
	dqy - -	1,12,328	3,338	3,96,57,940	8,907	43,15,346	29,52,027	1,06,080	4,69,25,313

fgekpy izns'k ljdkj }kjk fofHkUu Je vf/kfu;eksa ds vUrxZr fuEufyf[kr cksMZ vkSj lfefr;ksa dk le;≤ ij xBu fd;k tkrk gS%&

Øekad	vf/kfu;e dk uke	cksMZ@lfefr dk uke	xBu dk mís';
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड।	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति।	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड।	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहां पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनयम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना।
4.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सतर्कता समितियां।	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन/पुनर्वास सम्बन्धित कार्यवाही।
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।
6.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय समिति	इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है जो समय समय पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

U;wure osru

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुनः निर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एवं न्यूनतम वेतन सलाहाकार समिति का पुनर्गठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष 2019–20 में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात् समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर 250@& #å izfrfnu ;k #å 7500/– प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2019 से निर्धारित किया है, जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 25 रुपए अधिक है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी 25 रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ौतरी की गई है जो कि 01&04&2019 से लागू है। वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा के अनुसार समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर रु0 250/– से बढ़ा कर 275/– प्रतिदिन या #0 8250@&की दर से पुनर्निर्धारित की गई है जिसकी अधिसूचना सरकार द्वारा कर दी गई है। यह दर बढ़ौतरी अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों को 01–04–2020 से देय है। जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ौतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:–

1. कृषि
2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई क्रशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फारैस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रासंपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. रसायन एवं रसायन उत्पाद
7. इन्जीनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड (क) में परिभाषित।

10. होटल/रेस्तरां
11. निजि शैक्षणिक संस्थान
12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं
13. फार्मास्यूटिकल उद्योग
14. अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक
15. घरेलू कामगार
16. सफाई कर्मचारी नियोजन
17. सुरक्षा सेवाएं
18. मंदिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं
19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार

1. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत बढ़ौतरी देय है।

2. हिमाचल प्रदेश के गैर जन–जातीय क्षेत्रों में 'निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है

3. हिमाचल प्रदेश के जन–जातीय क्षेंत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है। अगर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनायें/जन–जातीय क्षेत्र में हैं तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ौतरी देय है।

4. महिला–पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिए (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी "निरीक्षक" नियुक्त किया है। यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

कामगारों को समय–समय पर देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कामगार अपनी शिकायत दायर करके निपटारा करवा सकते हैं।

cU/kqvk etnqjks d iquokl d fy; ;ktuk cukuk

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उपमण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में इस वर्ष बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

Ckky ,o fd'kkj Jfedk dk mUeyu dk;Øe

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम,1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1	2	3
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त नगर निगम शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी हि0प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हि0 प्र0	राजस्व
5.	समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0 प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0 प्र0	श्रम एवं रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
8.	समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत हि0 प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कांस्टेबल एवं उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, हि0 प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0 प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
12.	समस्त बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0 प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0 प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0 प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0 प्र0	आबकारी एवं कराधान

Hkou ,oa vU; lfUuekZ.k deZdkj ¼fu;kstu rFkk lsok 'krksZa dk fofu;eu½ vf/kfu;e] 1996

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण हेतु हि0 प्र0 भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को किया गया है । यह बोर्ड भवन व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औजार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए पारगमन आवास सुविधा और महिला कामगार लाभार्थी के स्वयं पति/पत्नी और दो बच्चों तक कौशल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करता है। भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं । इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन व अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होंगे उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है । प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और जिस कामगार ने पिछले 12 मास के दौरान 90 दिन या उससे अधिक मनरेगा में कार्य किया हो वह भी बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

dkexkjksa dks igpku i= iznku djuk

श्रम विभाग हिमाचल पद्रेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान–पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

पहचान–पत्रों को प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिसमें कामगारों को पहचान–पत्र जारी करना सुनिश्चित किया गया है ।

deZpkjh Hkfo"; fuf/k vf/kfu;e] 1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है। इस योजना के अन्तर्गत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अन्तर्गत 20511 संस्थानों में 1709604 कर्मचारियों को लाया जा चुका है।

deZpkjh jkT; chek ;kstuk vf/kfu;e] 1948

क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का कार्यालय बद्दी (ई0एस0आई0 कॉम्पलैक्स) में स्थित है। यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसूति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है । यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000/– रुपये से अधिक है वह इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है । यह योजना जिला सोलन– (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौर– (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊना– (1) मैहतपुर, (2) बाथड़ी (3) गगरेट (4) नंगल खुर्द (5) टाहलीवाल (6) बाथु (7) श्यामपुरा (8) गौन्दपुर (9) जयचन्द (10) सीमा (11) देवली (12) जीतपुर (13) बहेड़ी (14) शिवपुर (15) टटेरा (16) जलग्राम (17) टिब्बा (18) बैहड़ाला तथा जिला शिमला– (1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एवं शोघी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर में गोलथाई औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला मण्डी– (1) मण्डी (2) रती (3) नेरचौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर एवं (6) गुटकर एवं जिला कांगड़ा के (1) तहाल (2) रौड़ी (3) संसारपुर (4) महाल रौड़ी में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन और बद्दी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई॰एस॰आई॰ कॉरपोरेशन का कार्यालय बद्दी (ई॰एस॰आई॰ कॉम्प्लैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बद्दी में ई0एस0आई0 कारपोरेशन का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित है और जिला मण्डी में ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का सुपर सपेशलिटी अस्पताल एवं मैडिकल कालेज बन चुका है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम दाड़लाघाट, बागा, बटेड़ एवं सुहली दवारूखाना रौड़ी में भी लागू हो चुका है।

dkexkjksa ds fy;s f'k{kk ;kstuk

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है । कामगारों को उनके कर्त्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है । कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो ।

vlaxfBr {ks= ds dkexkjksa ds fy, iz/kkuea=h Je ;ksxh eku&/ku isa'ku ;kstuk

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पैंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए 15 फरवरी, 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का विधिवत् उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 5 मार्च, 2019 को मण्डी में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए योजना को शुरू करने की विधिवत् घोषणा की गई। पात्र लाभार्थियों को जागरूकता शिविरों के माध्यम से ब्रोशर प्रदान

कर उन्हें लोक मित्र केन्द्रों में मुफ्त पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया और उक्त पेंशन योजना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। आठ क्षैत्रीय भाषाओं में जिंगल के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश के समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित कर योजना पर प्रकाश डाला गया। दिनांक 20–08–2020 तक असंगठित क्षेत्र में 41266 श्रमिकों को प्रधानमंत्री पैंशन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

;kstuk dh ik=rk

1. घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन निर्माण कार्य के कामगार, हस्त कला/हथकरघा, चर्म, आडियो/वीडियो कार्य/मिड–डे मील कार्यकर्ता/स्वयं रोजगार एवं मनरेगा व समान अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं।

2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है तथा लोक मित्र केन्द्रों मे लाभार्थियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाता है।

3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रुपये माह या उससे कम है।

4. ई.एस.आई. ई.पी.एफ., आयकारदाता व पैंशनधारी पात्र नहीं है।

;kstuk dk ykHk

1. पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3000/– रुपये प्रतिमाह पैंशन सुनिश्चित है।

2. पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित पति/पत्नी को 50% पैंशन।

ekfld va'knku

1. न्यूनतम 55/– रुपये अधिकतम 200/– रुपये (आयु अनुसार)

2. मासिक अंशदान का बराबर भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पैंशन योजना की तरह एक नई योजना जिसमें लघु उद्यमी व स्व–रोजगार व्यक्तियों के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा एन.पी.एस–टी (NPS-T) योजना शुरू की गई।

;kstuk dh ik=rk

1. इस योजना के तहत रिटेल ट्रेडर्स, दुकानदारों और अपना रोजगार करने वाले लोग पात्र हैं।

2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है तथा लोकमित्र केन्द्रों में लाभार्थियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाता है।

3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रुपये माह या उससे कम है।

4. ई.एस.आई. ई.पी.एफ., आयकरदाता व पैंशनधारी पात्र नहीं है।

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ तथा मासिक अंशदान प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन i'ku ;kstuk के समान है।

अध्याय–5

Je U;k;ky; ,oa vk|kfxd U;k; ikf/kdj.k

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मशाला में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी कुल्लू तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद के बराबर के एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैंः–

Øekd	inuke	l[;k
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टेनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक–कम–रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर–कम–चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है । मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अन्तर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुरूप श्रम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की शक्तियों दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग–अलग हैं । श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर–दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकद्दमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। यह न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1&4&2019 l 31&3&2020 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øekd	fooj.k	lUnHk	vkonu	TkkM
1.	31–3–2019 को लम्बित मामले	1223	306	1529
2.	1–4–2019 से 31–3–2020 तक प्राप्त मामले	348	470	818
3.	31–3–2020 को कुल मामले	1571	776	2347
4.	1–4–2019 से 31–3–2020 तक निपटाये गये मामले।	576	406	982
5.	31–3–2020 को लम्बित मामले	995	370	1365

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जोकि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी (राजपत्रित, श्रेणी–II) के नाम से पुनः नामित किया गया। तद्नुसार निदेशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जोकि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार

कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एवं रोज़गार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। विधि कक्ष में दिनांकः 01–04–2019 से 31–03–2020 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 127 मामले प्राप्त हुये।

fnukad 01&04&2019 ls 31&03&2020 rd fun'kky; Je ,oa jkstxkj] fgå iza ds U;k;ky; esa ekeyksa dk fooj.k %

Øekad	Ekuuh; U;k;ky; dk uke	31&03&2019 rd ikIr d|y ekeys	01&04&2019 ls 31&03&2020 rd d|y ekeys	31&03&2020 rd ikIr d|y ekeys	31&03&2020 rd d|y fuiVk;s x;s ekeys	31&03&2020 dks d|y yfEcr ekeys
1.	उच्चतम न्यायालय	33	2	35	21	14
2.	हि० प्र० उच्च न्यायालय	1160	108	1268	943	325
3.	हि० प्र० प्रशासनिक प्राधिकरण	153	4	157	43	114
4.	अवर श्रेणी न्यायालय	22	9	31	5	26
	d|y --	1368	123	1491	1012	479

v/;kns'k ds ek/;e ls Je dkuwuksa esa la'kks/ku

भारत सरकार के अधीन श्रम मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार अध्यादेश के माध्यम से निम्नलिखित केन्द्रीय श्रम कानूनों में बिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत संशोधन किया गया है तथा तत्पश्चात् लागू भी कर दिया गया है।

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

2. श्रम ठेका (विनियम एवं उन्नमूलन) अधिनियम, 1970

dkj[kkuk vf/kfu;e] 1948

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) 1973 और संशोघन नियम, 1991 में संशोघन करके फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट को समाविष्ट करने के लिए संशोधन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजा गया है जोकि वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ कम्प्लाइन्स टू मैन्टेन रजिस्टर अंडर वेरियस लेबर लॉज नियम, 2019 जो कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार बनाए गए हैं जिनमें श्रम कानूनों के अन्तर्गत रजिस्टरों की संख्या को 55 से घटाकर 4 करने का प्रावधान निहित है, उसका प्रारूप प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भेजा गया हैं जोकि आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्याय–6

Budget & Actual Expenditure Statement Figures

Demand No. 27—Labour, Employment & Training

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2019-20 (in Rs.)		Actual Expenditure 2019-20 (in Rs.)	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration,01-Staff at the Hqrs.				
		—	16546000	—	11111101
2.	01-Labour, 101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws				
		—	54370000		44601692
3.	01-Labour-101-Industrial Relaltions-02- Industrial Disputes				
		—	17496000	—	13758260
4.	01-Labour, 101-Industrial Relations, 03-Wage Board				
		—	11000	—	10796
5.	01-Labour, 102-Working Conditions & Saftey, 01-Inspectorate of Factories				
		—	1194000	—	1040280
6.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education				
		—	—	—	—
7.	02-Employment, 001-Direction & Administration-01-Staff at the Directorate of the Employment				
		—	8430000		8634750
8.	02-Employment, 004-Research, Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		—	6607000	—	5752488
9.	02-Employment, 101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services				
		—	106320000	—	88698757
10.	02-Employment, 101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling				
		4380000	3483000	1975833	2629498
11.	02-Employment, 101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
		—	1108000	—	863159
12.	02-Employment, 101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges (Scheduled Castes).				
		—	1608000	—	594167
13.	03-Training, 003-Training of Craftsman & Instructors, 09-Skill Development Allowance				
		—	990000000	—	462039107
14.	02-Employment, 800-Other Expenditure, 01-Unemployment Allowance				
		—	397000000	—	392792345
15.	2059-Minor Works-01-053-42				
16.		—	1000	—	0
	4250-Capital Works				
		9828000	—	9828000	—
17.	2235-Pensioners of Labour & Employment Department				
		—	2921000	—	2918797
	Total ..	**14208000**	**1592203000**	**11803833**	**1035445197**

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT FIGURES DEMAND NO. 31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan, 01-Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		200000	3346000	142693	2563756
2.	02-Employment, 796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employment Services				
		1400000	7790000	757063	2681224
3.	03-Training, 796-Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance				
		—	10337000	—	2160515
	Total ..	**1600000**	**21473000**	**899756**	**7405495**

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES (100% PLAN CENTRAL)

1.	02-Employment-101-Employment Services-04-Model Career Centre				
	Office Expenses		9763500		8940383
	Minor Works		—		—
	Rem. to Out Source	0		0	—
	Total ..	**0**		**0**	—

Receipt Major Head-0230 Financial Year 2019-20

Sl. No.	Head of Account	Estimated Receipt (in Rs.)	Actual Receipt (in Rs.)
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws	25000	97191
2.	0230-00-102-01 Regn. of Trade Union	10000	6225
3.	0230-00-104-01 Fees Under Factory Act	41794000	36202649
4.	0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act	800000	972879
5.	0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act	200000	169750
6.	0230-00-800-02 Fees Under Shops & Comm. Establishment Act.	6000000	9091727
7.	0230-00-800-05 Recovery of Over Payment	500000	347134
8.	0230-00-800-07-Others Misc. Recovery	1000000	97150
9.	0230-00-800-10-Cess	5923000	7178246
10.	0230-00-800-11 Fine under BOCW Act	150000	4967
11.	Fine Imposed under BOCW Act	250000	22408
	Total ..	**56652000**	**54190326**

अध्याय–7

Right to Information
Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

NOTIFICATION

No. Shram(A)4-2/2005 Shimla-171 001 ***the 19th March, 2019***

In exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 4 of the Right of Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :—

	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings— Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of Secretary (Lab. and Emp.) Govt. of HP : (i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt. (ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions (iii) Court Cases (iv) Budget, Financial Matter/Expenditure sanctions (v) Publication of Awards Deputy Secretary : (i) All correspondence relating to personnel matters/financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. (ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action. Section Officer : (i) To supervise all the work relating to personnel/budget and public representative etc. (ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. (iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. (iv) To ensure timely submission of time bound cases/Court cases.

		(v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. Superintendent : (i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. (ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority. Sr./Jr. Asstt. : (i) Opening/maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers. (ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of service books, service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters. Clerk : (i) Diary and despatch/movement of files weekly & monthly statements etc. (ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./Under Secretary level. Financial matters/expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & regulations/instructions followed are as under:— 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules 4. Medical Attendance Rules 5. Delegation of financial powers 6. LTC Rules/GPF Rules/Pension Rules etc. 7. R & P Rules 8. Office Manuals
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N.A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils, Committee & Other bodies consisting of	N.A.

	two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph. No. 2621876, 2880735 2. Deputy Secretary: Ph. No. 2628499, 2880527 3. Senior Private Secretary/P.A.: Ph. No. 2621876, 2880735 4. Section Officer: Ph. No. 2880444 5. Superintendent: Ph. No. 2880544 6. Sr. Asstts.: Ph. No. -do- 7. Jr. Asstt.: Ph. No. -do- 8. Clerks: Ph. No. -do- 9. Peon.: Ph. No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department *vide* Notification dt. 31-10-05 has already designated the officers of the Lab. and Employment Deptt. as Appellate Authority/Public Information Officer. The

		said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

By order,
Sd/-
Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of H.P.

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 Shimla-2, the 10th April, 2007
Copy to:—

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimla-2.
3. All the HOD's in H.P.
4. All Div. Commissioners/ DCs in H.P.
5. The Controller, P & S, H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary).
6. Guard File.

Sd/-
Deputy Secretary (Lab. & Emp.) to the Government of H.P.

अध्याय–8

Government of Himachal Pradesh
Directorate of Labour & Employment

OFFICE ORDER

No. Shram(Prastha)11/05.— Shimla-171 001, 19th March, 2019

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec. 4 of the Right to Information Act, 2005 are as under:—

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its functions & duties :

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts (26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, Welfare & Safety of Workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:—

1. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Child Labour (Regulation and Prohibition) Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981
6. The Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
8. Employees State Insurance Act, 1948
9. Equal Remuneration Act, 1976
10. Factories Act, 1948
11. Industrial Dispute Act, 1947
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity Benefit Act, 1961
16. Minimum Wages Act, 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961
18. Payment of Bonus Act, 1965
19. Payment of Gratuity Act, 1972
20. Payment of Wages Act, 1936
21. Plantation Labour Act, 1951
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976
23. Trade Unions Act, 1926
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955.
25. Workman Compensation Act, 1923
26. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act, 1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act, 1995.

STATE ACTS

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick Leave) Act, 1969.

(II) Powers and duties of Officers and Employees :

Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices. Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred to the two Labour Courts-*cum*-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act, 1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act, 1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of subordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments under the respective Acts. The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Orders) Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act (R&A) Act, 1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act, 1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes. Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970. Registration Officers and licensing officer under Contract Labour Act (R & A) Act, 1970 and Inter State Migrant Workmen (RECS) Act. Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and

forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages, Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:
Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. Incharges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:
All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:
Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:
Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sl. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:
A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sl. No. (V) hereinabove. Also files related to Budget, Plan and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof:

(a) State Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as

Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

(b) District Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of respective DCs as Chairman, 10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

(c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1-9-2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30-1-2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.

(d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sept., 2003 comprising of Chairman, 9 members and member secretary.

(e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act, 1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio member, 2 Employees Representative, 6 Employers Additional Representative and member Secretary.

(f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman, 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of employees representatives.

(g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI (Gen.) Regulation, 1950 consisting following members: Chairman, Member, Labour Inspector, Medical Officer, Incharge, 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.

(h) State Level Tripartite Committee which consist of Chairman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.

(i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman, 7 members, Member Secretary.

(j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Hon'ble Chief Minister) 112 Members and Member Secretary.

(VIII) A statement of the board, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item No. (vii) hereinabove meetings are not open to public as such. However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees:

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1	2	3	4
1.	Dr. S.S. Guleria, IAS	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2.	Sh. A. K. Sood	Deputy Director Factories, Directorate	0177-2624157
3.	Sh. T.R. Azad	Joint Labour Commissioner, Directorate	0177-2624157
4.	Sh. R.P. Rana	Deputy Labour Commissioner, Directorate	0177-2624305
5.	Sh. G.D. Kalta	Employment Officer, Central Employment Cell, and State Vocational Guidance Officer holding additional charge of Dy. Director Employment.	0177-2624205
6.	Sh. Guman Singh	District Employment Officer, Solan	01792-223746
7.	Smt. Sangeeta Gupta	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
8.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer, Una	01975-226063
9.	Sh. G.D. Kalta	Officer Incharge Placement (Physically Handicapped Cell) and Employment Market Information Officer.	0177-2620229
10.	Sh. R.C. Katoch	District Employment Officer, Kangra	01892-224892

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1	2	3	4
11.	Sh. Yog Raj	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
12.	Dr. Hira Nand	District Employment Officer, Keylong	01900-222252
13.	Sh. Anil Chandel	District Employment Officer, Kullu	01902-222522
14.	Sh. Rajender	District Employment Officer, Rekong-Peo	01786-222291
15.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer, Chamba	01899-222209
16.	Sh. H.R. Gupta	District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
17.	Sh. Guman Singh	District Employment Exchange, Sirmaur at Nahan.	01702-222274
18.	Sh. Shammi	Regional Employment Officer, Mandi	01905-235508
19.	Sh. Rajender	Labour Officer, Reckong Peo	01786-222007
20.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, Dharamshala	01892-223745
21.	Sh. Raj Kumar	Labour Officer, Chamba	01899-223233
22.	Sh. J.C. Bindra	Labour Officer, Solan	01792-235542
23.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer, Kullu	01902-223698
24.	Sh. Puran Chand	Labour Officer, Mandi	01905-225329
25.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, Bilaspur	01978-221516
26.	Sh. Prem Singh Chambial	Labour Officer, Una	01975-224243
27.	Sh. Munish Karol	Labour Officer, Baddi	01795-271210
28.	Sh. Mukesh	Labour Officer, Rampur	01782-234286
29.	Sh. Chander Manni Sharma	Labour Officer, Sirmaur at Nahan	01702-226144
30.	Sh. Pratap Singh Verma	Labour Officer, Shimla Zone, Shimla	0177-2624706

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale
1	2
Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, IAS	37400+67000+8700 G.P.
Deputy Director of Factories	15600-39100+7800 G.P.
Joint Labour Commissioner	15600-39100+6600 G.P.
Deputy Labour Commissioner	15600-39100+6000 G.P.
Deputy Director of Employment	15600-39100+6000 G.P.
District Employment Officers	15600-39100+5400 G.P.
Regional Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Superintendent Grade-I	15600+39100+5400 G.P.
Labour Officers	10300-34800+5000 G.P.
Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Law Officer	10300-34800+4400 G.P.
Superintendent Grade-II	10300-34800+4800 G.P.
Personal Assistant	10300-34800+4800 G.P.
Senior Scale Stenographer	10300-34800+4400 G.P.
Statistical Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Senior Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Labour Inspectors	10300-34800+4200 G.P.

1	2
Computer Operator	10300-34800+3200 G.P.
Junior Assistant	10300-34800+3600 G.P.
Junior Scale Steno	10300-34800+3600 G.P.
Driver	5910-20200+2000 G.P.
Steno-typist	5910-20200+2000 G.P.
Clerk	5910-20200+1900 G.P
Daftri	4900-10680+1800 G.P.
Peon, Chowkidar & Sweeper	4900-10680+1650 G.P.
Frash	4900-10680+1650 G.P.

(XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes;
Not Applicable.

(XIII) particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;
Not Applicable.

(XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic Form:
Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate, Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use;

(XVI) The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh

Detail of PIO & Appellate Authority

Sl. No.	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
PIO				
1.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2424157
2.	Sh. Munish Karol	Labour Officer	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624305
3.	Sh. R.P. Rana	Deputy Labour Commissioner.	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624157
4	Smt. Sudha Sood	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Solan.	01792-223746
5.	Sh. Anil Chandel	District Employment Officer.	Regional Employment Exchange, U.S. Club, Shimla.	0177-2658174
6.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Una.	01975-226063

Sl. No.	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
7.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2625277
8.	Sh. Shammi Sharma	District Employment Officer.	Regional Employment Exchange, Dharamshala.	01892-224892
9.	Sh. Yog Raj	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Hamirpur.	01972-222318
10.	Smt. Manorma	District Employment Officer.	District Employment Exchange Kullu.	01902-222522
11.	Sh. Rajender Singh Chauhan	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Kinnaur.	01786-222291
12.	Sh. Arvind Singh	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Chamba.	01899-222209
13.	Sh. Pyare Lal	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Bilaspur.	01978-222450
14.	Sh. Balwant Singh	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Nahan.	01702-222274
15.	Sh. Safra Ram	District Employment Officer.	Regional Employment Exchange, Mandi.	01905-235508
16.	Sh. Rajender	Labour Officer, Reckong Peo.	Labour Office, Kinnaur at Reckong Peo.	01786-222007
17.	Sh. Raj Kumar	Labour Officer, Dharamshala.	Labour Office, Dharamshala	01892-225329
18.	Sh. Anurag	Labour Officer, Chamba.	Labour Officer, Chamba	01899-222209
19.	Sh. Mukesh	Labour Officer, Solan	Labour Office, Solan	01792-230745
20.	Sh. Dinu Ram (L.O.)	Labour Officer, Kullu	Labour Office, Kullu	01902-222522
21.	Sh. Puran Chand Thakur	Labour Officer, Mandi	Labour Office, Mandi	01905-235542
22.	Sh. Prem Singh Chambial	Labour Officer, Una	Labour Office, Una	01975-224243
23.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer, Baddi	Labour Office, Baddi	01795-271210
24.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer, Rampur.	Labour Office, Rampur	01782-234286
25.	Sh. Chander Manni Sharma	Labour Officer Sirmaur at Nahan.	Labour Office, Nahan	01702-222274
26.	Sh. Munish Karol	Labour Officer, Shimla.	Labour Office, Shimla Himrus Bhawan, H.P.	0177-2624706
27.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, Bilaspur.	Labour Officer, Bilaspur	01978-222450

B. Appellate Authority :

1.	Dr. S.S. Guleria, IAS.	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan Shimla-171001.	0177-2625085

(XVII) Such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––1350–एल0सी0 / 2020––20–1–2021––100 प्रतियां।